

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1240/2011/अलवर

2. अपील संख्या 1241/2011/अलवर

मैसर्स शानू इम्पेक्स प्रा.लि.

भिवाडी

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

प्रतिकरापवंचन, अलवर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपरिथित

श्री एम.एल.पाटोदी एवं ईशु जैन

अभिभाषक

श्री आर.के.अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक: 21.07.2015

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 95/आरवेट/2009-10/उपा/अपील्स/अलवर एवं 96/सीएसटी/2009/उपा/अपील्स/अलवर में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 25.01.2011 के विरुद्ध प्रतात की गई है। चूंकि दोनों अपीलों में समान बिन्दु निहित है एवं अपीलार्थी व्यवहारी भी एक है इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियों सभी पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जायें।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन अलवर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 18.12.2008 को अपीलार्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण/जांच करने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा देश के बाहर से पी.वी.सी.कोटेड फेब्रिक का आयात किया जाता है तथा उसी रूप में उसको राज्य में एवं राज्य के बाहर कर मुक्त गाल की श्रेणी में मानकर विक्रय किया जाता है जिसको कर निर्धारण अधिकारी ने करापवंचन की श्रेणी में मानते हुए केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 संपर्कित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की 34(3), 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.12.2008 को एकपक्षीय पारित करते हुए पी.वी.सी. कोटेड फेब्रिक की धोषित अन्तर्राज्जीय विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्त्रियों निम्न तालिका के अनुसार आरोपित की है:-

३६२

2 ✓

अ.सं.	कर	ब्याज	शास्ति
1240/11/अलवर	रु.20,466/-	रु.1637/-	रु.40,932/-
1241/11/अलवर	रु.18,89,205/-	रु.1,51,136/-	रु.37,78,410/-

उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को उपरोक्त (प्रशासन) के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने अपील स्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 34(3) के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने के आदेश दिये तथा अपीलार्थी व्यवहारी को दिनांक 23.3.2009 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष लेखा पुस्तकों सहित उपस्थित होने निर्देश दिये। उक्त निर्देशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.05.2009 को पारित कर उपरोक्त तालिका के अनुसार मांग सृजित की है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपीलें को अस्वीकार किया है, जिससे असन्तुष्ट होकर उपरोक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आलोच्य अवधि में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा भारत के बाहर से आयातित पी.वी.सी. कोटेड फेब्रिक ऐट अधिनियम की अनुसूची प्रथम की दिनांक 08.07.2009 से संशोधित एवं 01.04.2006 से प्रभावी प्रविष्टि संख्या 100 के अन्तर्गत आता है, अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आयातित माल कर मुक्त वस्तु की श्रेणी में आने से इस पर करारोपण करना अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये माल के रामरत संव्यवहारों को लेखा पुस्तकों एवं विभाग में पेश किये गये त्रैमासिक विवरणियों में दर्शाया है, इसलिए करापवंचन किया जाना मानकर शास्तियाँ आरोपित करना अविधिक है। उन्होंने आगे बताया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब पर कोई विचार नहीं किया गया तथा कर मुक्त बिकी को कर योग्य मानते हुए कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। उनका कथन है कि आलोच्य अवधि की घोषित बिकी, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है तथा उक्त घोषित बिकी नियमित लेखा पुस्तकों में एवं उसके द्वारा पेश की त्रैमासिक विवरणियों में दर्ज हैं। इस प्रकार ना तो किसी बिकी को छुपाया गया है और ना ही उसके द्वारा घोषित बिकी एवं लेखा पुस्तकों में दर्ज बिकी में कोई अनियमितता पाई गई इसलिए करापवंचन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाना अविधिक है। उन्होंने अपीलीय

- ३७८

—3—अपील संख्या 1240 व 1241/2011/अलनर

अधिकारी रत्न पर प्रोद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला बहस के दौरान दिया। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों की अनुसार करते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2011 पारित किये हैं, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि हस्तगत प्रकरणों में सर्वेक्षण के समय पाया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा भारत के बाहर से आयातित पी.वी.सी. कोटेड फेब्रिक कर योग्य माल को कर मुक्त माल घोषित करते हुए नियमानुसार देय कर का संदाय नहीं कर विक्रय किया है, जिसे करापवंचन किया जाना प्रमाणित होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि सम्मत कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार कर ब्याज शास्तियों का आरोपण किया है, जो उचित एवं विधिक है। उनका कथन है कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क केवल भारत में निर्मित व उत्पादित वस्तुओं पर ही देय है इसलिए केवल भारत में निर्मित वस्तु पर ही कर मुक्ति का लाभ मिलेगा, जबकि हस्तगत प्रकरण में आयातित माल का निर्माण भारत के बाहर किया गया है तथा उक्त वस्तुओं का आयात भारत के बाहर से आयात किया गया है इसलिए इन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क देय नहीं है तथा उक्त माल पर वैट अधिनियम की अनुसूची—I की प्रविष्टि संख्या 39 से कवर नहीं होने के कारण वैट अधिनियम की अनुसूची iv की प्रविष्टि संख्या 135 के अन्तर्गत कर योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा भारत के बाहर से आयातित पी.वी.सी. कोटेड फेब्रिक को कर योग्य माना है जबकि अपीलार्थी व्यवहारी ने कर मुक्त माल के रूप में बिकी है इसलिए अपीलार्थी व्यवहारी की करापवंचन की प्रमाणित होती है, अतः कर निर्धारण अधिकारी ने उचित प्रकार से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियाँ आरोपित की हैं, जो पूर्णतः विधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को उचित एवं विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया, बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार अपीलार्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण/जांच करने पर पाया गया कि

३११

अपीलार्थी द्वारा देश के बाहर से पी.वी.सी.कोटेड फैब्रिक का आयात किया है तथा उसी रूप में उसको राज्य में एवं राज्य के बाहर कर मुक्त माल की श्रेणी में मानकर विक्रय किया है जिसको कर निर्धारण अधिकारी ने करापवंचन की श्रेणी में मानते हुए केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 सप्तित वैट अधिनियम की धारा 34(3), 25,55 एवं 61 के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.05.2009 को पारित करते हुए पी.वी.सी. कोटेड फैब्रिक की घोषित अन्तर्राज्ञीय विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर, ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्त्रियाँ आरोपित की हैं, जिनको अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा गया है। प्रकरण में अन्तर्निहित बिन्दु निर्णय हेतु यह है कि भारत के बाहर से आयातित माल पी.वी.सी. कोटेड फैब्रिक, जिसका निर्माण में भारत के बाहर किया गया, कर मुक्त है अथवा कर योग्य है ?

यदि व्यवहारी किसी वस्तु को कर मुक्त मानता है तो उसके पास इस को प्रमाणित करने का ठोस आधार होना चाहिए जबकि व्यवहारी का मात्र तर्क कि उसके द्वारा संव्यवहारित माल पी.वी.सी. कोटेड फैब्रिक्स अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि संख्या 39 के अन्तर्गत "Textile & Fabric on which additional excise duty was levied but exempted by Government of India" के अन्तर्गत आने से कर मुक्त है, को कोई प्रमाणिक आधार नहीं माना जा सकता है एवं यह व्यवहारी स्वयं की अवधारण है जो वस्तुरिस्ति में विधिसम्मत नहीं है। अतः वैट अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 135 अन्तर्गत "Textile & Fabric not covered under Schedule-I @ 4 % की दर से कर योग्य होने पर भी अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि संख्या 39 के तहत कर मुक्त माल के रूप में बिकी कर करापवंचन किया है।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने भारत के बाहर से आयातित माल पी.वी.सी. कोटेड फैब्रिक को वैट अधिनियम की अनुसूची-iv की प्रविष्टि संख्या 135 से आच्छादित माना है। इस सम्बन्ध में वैट अधिनियम की अनुसूची-iv की प्रविष्टि संख्या 135 को उन्नत करना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :—

"ADE (GSI)Act 1957 की धारा 3(1) Levy & collection of additional duties के बारे में वर्णन किया है :— "There shall be levied & collected produced or manufactured in India....."

उक्त धारा 3(1) के तहत भारत में निर्मित या उत्पादित माल किसे माना जावे, इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों ने भी अपने निर्णयों में स्पष्ट रूप से अंकित किया है। इस सम्बन्ध में माननीय तमिलनाडु टेक्सेशन रेशल द्रिब्यूनल की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स मोहम्मद जकारिया बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य के प्रकरण में (1991) 115 एस टी सी 697 का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें निम्न मत प्रतिपादित किया गया है :—

"Manufacture of goods referred to in various headings of the schedule to the Central Excise Tariff Act 1985 refers to manufacture of excisable goods- Excisable goods are those produced or manufactured in India."

प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा खरीदा गया माल फेब्रिक्स की श्रेणी में आता है, जो कि विवादित नहीं है। अपीलार्थी व्यवहारी ने भारत के बाहर से आयातित पी.वी.सी.कोटेड फेब्रिक को वैट अधिनियम की अनुसूची- I की प्रविष्टि संख्या 39 में दर्ज होने के कारण उक्त वस्तु को कर मुक्त मानकर विक्रय किया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क केवल भारत में निर्मित व उत्पादित वस्तुओं पर ही देय है इसलिए केवल भारत में निर्मित वस्तु के विक्रय पर ही कर मुक्ति का लाभ मिलेगा। भारत के बाहर से आयातित माल पी.वी.सी. कोटेड फैब्रिक वैट अधिनियम की अनुसूची- I की प्रविष्टि संख्या 39 से आच्छादित (कवर) नहीं होती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भारत के बाहर से आयातित माल पर करारोपण एवं ब्याज आरोपित किया जाना विधिक रूप से उचित है, जिसकी पुष्टि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने भी की है, जिसमें हरतक्षेप करने का कोई ठोस आधार इस पीठ के समक्ष नहीं है।

निष्कर्षतः अपीलार्थी व्यवहारी ने भारत के बाहर से आयातित माल को कर योग्य होने की स्थिति में भी अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि संख्या 39 के तहत उक्त वस्तुओं की कर मुक्त माल के रूप में बिकी की है। वैट अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 135 अन्तर्गत "Textile & Fabric not covered under Schedule-I @ 4 % की दर से कर योग्य होने पर भी अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि संख्या 39 के तहत उक्त विक्रय को कर मुक्त माल के रूप में विवरणियों में घोषित कर करापवंचन किया है, इसालेए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति विधि अनुकूल एवं उचित है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का निर्णय उचित होने से उक्त आदेश की पुष्टि की जाती है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुभील शर्मा)
सदस्य

—३६८

(बी.के.मीणा)
अध्यक्ष